कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर

पत्रांकः–स–03–2015/सीएफओ/बी0जे0आर0–06/बिजनौर–03 दिनांकः जनवरी 20 ,2015

सेवा में

स्वामी/प्रबन्धक,
मदर डिवाईन पब्लिक स्कूल,
पाईपास चककर रोड बिजनौर थाना को0शहर तहसील बिजनौर,
जनपद बिजनौर ।

विषयः मदर डिवाईन पब्लिक स्कूल, पाईपास चककर रोड बिजनौर थाना को0शहर तहसील बिजनौर जनपद बिजनौर को अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ मा0 सर्वोच्च न्यायालय मे योजित जनहित याचिका संख्याः 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन आफ इन्डिया एवं अन्य मे पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 13–04–2009 के अनुपालन मे प्रदेश के स्कूलो / कालेजो मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध मे सचिव उ0प्र0 शासन शिक्षा (7) अनुभाग का शासनादेश संख्याः 1801/15–7–09–1(124)/2009 दिनांक 20–07–2009 के अनुसार निर्धारित प्रारू में अनापत्ति सम्बन्धी आख्या ।

2– आपका आवेदन पत्र दिनांक निल के कम में।

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता–2005 मे उल्लिखित शैक्षिक भवनो के लिये प्राविधानित अग्नि सुर के अनुरूप अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर द्वारा मदर डिवाईन पब्लिक स्कूल, पाईपास चककर र बिजनौर थाना को0शहर तहसील बिजनौर जनपद बिजनौर का निरीक्षण संलग्न प्रारूप/मानचित्र के अनुसार करा गया। अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर की निरीक्षण संस्तुति आख्या दिनांक 16–01–2015 का सुसं मानको के अनुसार परिशीलन किया गया आख्या निम्नवत है ।

भवन की संरचनाः–

1– कुल भूखड एरिया ————————— 10,370.95 वर्ग मीटर।
2– भूतल पर निर्मित कवर्ड एरिया ———— 911.50 वर्ग मीटर।
3– ओपन एरिया———————————— 9459.45 वर्ग मीटर ।
4–भवन की ऊचाई ——————————03.50 मीटर

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी– प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 2005 की शैक्षिक श्रेणी के अन्तर्ग आता है ।

ढॉचागत व्यवस्थाये –

1– पहुॅच मार्ग – उक्त विद्यालय भवन 12.00 मी0 से अधिक चौडे रोड पर उपलब्ध है तथा प्रवेशद्वार की चौडा 04.50 मीटर उपलब्ध है ।

2–सैट बैक–

अग्रभाग ———————06.00 मीटर से अधिक
पृष्ठ भाग———————06.00 मीटर से अधिक ।
पार्श्व भाग प्रथम———06.00 मीटर से अधिक
पार्श्व भाग द्वितीय–– 06.00 मीटर से अधिक सैटबैक उपलब्ध है जो एन0बी0सी0–2005 व अनुसार पर्याप्त है जिसको सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये इसमें किसी प्रकार की स्थाई/अस्थाई निर्माण का मान्य नही होगा।

निकास मार्ग– भवन केवल भूतल पर ही निर्मित है ।

Manager
Mother Divine Public Scho
BIJNOR

Principal
Mother Divine Public School
BIJNOR (U.P.)

20/01

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था–

1–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण फायर एक्सटिंग्यूशर 06 अदद भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार उपलब्ध है ।

2– भवन में फायर एलार्म सिस्टम , 06 अदद फायर बकेट्स लगवाने हेतु प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है।

3– अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रबन्धको द्वारा नियमानुसार कराया गया ।

4– अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण प्रतिवर्ष फायर एक्सटिंग्यूशर रिफिलिंग/टेस्टिंग नियमानुसार कराया जायेगा ।

अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल को निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तो के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जाता है ।

1– भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जायें कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेंस सैडयूल बनाया जायें तथा अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का एक रजिस्टर तैयार करेगे जिसमें प्रतिदिन ,साप्ताहिक , मासिक , अर्द्धवार्षिक , वार्षिक कार्य कलापों का विवरण अंकित करेगे ।

2– भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जायें ।

3– भवन में किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/नवनिर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

4– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जायें ।

5– प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियो को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जायें इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जायें ।

6– वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।

7– विस्फोटक पदार्थो का भण्डारण विद्यालय परिसर में कदापि नही करेगें ।

8–विद्यालय भवन में जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है उन कमरो में 30 से अधिक छात्र/छात्राओं को नही बैठायेगें ।

9–विद्यालय में भोजन/मिड–डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गो से दूर टीन सैड अथवा पक्के निर्माण में ही किया जायेगा तथा प्रयोगशाला में एल0पी0जी0 का सुरक्षित प्रयोग करेगे ।

10–भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।

अतः अग्निशमन अधिकारी बिजनौर की संस्तुति एवं उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओ तथा शर्तो के आधार पर मदर डिवाईन पब्लिक स्कूल, पाईपास चककर रोड बिजनौर थाना को0शहर तहसील बिजनौर जनपद बिजनौर को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

संलग्न अनुमोदित मानचित्र

(जाकिर हुसैन रिजवी)
उप निदेशक / सी0एफ0ओ0
बिजनौर

प्रतिलिपिः– अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर, को उनकी ऑख्या दिनांक 16–01–2015 के कम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित की पत्रावली खोलकर उस पर सुरक्षित रखेगे तथा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण करके यथा स्थिति का आकलन करते रहेगे आकस्मिक निरीक्षण में यदि किसी प्रकार की अयनिमिता मिलती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करके यथा स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगे क्योकि आग से होने वाली क्षति व्यक्तिगत क्षति के साथ राष्ट्र की भी क्षति है जिसकी भरपाई किया जाना सम्भव नही है ।

Manager
Mother Divine Public Schoo
BIJNOR

Principal
Mother Divine Public School
BIJNOR (U.P.)